Indian J. Soc.& Pol. 04(02):2017:109-110 **ISSN 2348-0084(P)**
ISSN 2455-2127(O)

जीवन एवम् शारीरिक स्वतन्त्रता का अधिकार : संकीर्ण से विस्तृत होता क्षेत्र

रीतु ग्रेवाल[1]
[1] नेट ,जे.आर.एफ, एम.ए. राजनीतिक विज्ञान ,एम.एड. महर्षि दयानन्द वि.वि. रोहतक, हरियाणा, भारत

ABSTRACT

विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशो की तरह भारत मे भी नागरिको को कुछ अधिकार प्रदान किए गए है। संविधान की प्रस्तावना से हमे संविधान के निर्माताओ के उद्देश्यो का ज्ञान होता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की स्वतन्त्रता , समानता , और न्याय के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। मूल संविधान मे जीवन और शारीरिक स्वतन्त्रता के अधिकार की अत्यन्त संक्षिप्त व्याख्या की गई है। इस शोध पत्र मे हम अध्ययन करेगें की अब इस अधिकार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो चुका है। न्यायपालिका ने विभिन्न केसो मे जीवन के अधिकार की अत्यन्त उदार व्याख्या की है, जिससे इस अधिकार का क्षेत्र बहुआयामी हो गया है।

KEY WORDS*: *लोकतन्त्र ,विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया , कानून की उचित प्रक्रिया

भारतीय संविधान के भाग – 3 मे अनु0 12 – 35 तक मौलिक अधिकारों का अध्याय शामिल किया गया है । अनुच्छेद 21 में कहा गया हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से केवल ''विधि द्वारा स्थापित प्रकिया''[1]के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं । यह एक ऐसा अधिकार हैं , जो भारतीय नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। व्यक्ति को यह अधिकार राज्य के विरूध प्राप्त हैं। यदि राज्य इस अधिकार का हनन करता हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनु0 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता हैं । परन्तु यदि व्यक्ति के जीवन को किसी अन्य संस्था या व्यक्ति से हानि होती हैं तो वह अनु0 226 के अनुसार उच्च न्यायालय मे अपना विचार रख सकता हैं । यह एक ऐसा अधिकार है जिसे किसी भी परिस्थिति मे निलंबित नहीं किया जा सकता ।

1975 में लागू किए गए आपातकाल में व्यक्तिगत स्वतंन्त्रता और गरिमा को जो हानि हुई ,वह दुबारा घटित ना हो सके , इसी उद्देश्य से संविधान में 44 वां संशोधन किया गया । इस संशोधन के अनुसार '' जीवन और व्यक्तिगत स्वतंन्त्रता '' के अधिकार को अब न तो सीमित किया जा सकता है , और न ही समाप्त । इस अधिकार को केवल '' कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया'' के अनुसार ही सीमित किया जा सकता हैं । 1950 के दशक तक जीवन के अधिकार की अत्यन्त संकुचित व्याख्या कि गई। गोपालनवाद में न्यायापालिका ने ''विधि द्वारा स्थापित तरीके को मान्यता देते हुए कहा कि न्यायापालिका का कार्य विधि का अर्थ स्पष्ट करना हैं न कि उसके औचित्य का परिक्षण करना । न्यायापालिका ने अनु0 19 और अनु0 21 को पूर्णतः अलग माना गया । न्यायापालिका ने स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार कार्यपालिका के विरूध हैं , विधानपालिका के विरूध नहीं । परन्तु इस वाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की । 1978 में '' मेनका गांधी केस '' में सुप्रीम कोर्ट ने ''विधि की उचित प्रक्रिया''2 को आधार बनाते हुए '' प्राकृतिक न्याय '' के अधिकार को मान्यता प्रदान की । गोपालनवाद के फैसले को बदलते हुए न्यायापालिका ने कहा कि विधानपालिका के द्वारा निर्मित विधि तार्किक ,उचित एवं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए न कि मनमानी और भेदभावपूर्ण । न्यायापालिका ने कहा कि ''जीवन के अधिकार '' का आशय गरिमामयी जीवन का अधिकार हैं । अनु0 19 और अनु0 21 एक दूसरे के पूरक हैं , इसीलिए जीवन के अधिकार में विशिष्ट स्वतन्त्रताए भी सम्मिलित हैं ।

''बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस'' में जीवन के अधिकार का विस्तार समाज के शोषित वर्गो की रक्षा के लिए किया गया । उन्नीकृष्णनवाद में न्यायपालिका ने शिक्षा को गरिमामयी जीवन के आधार बताया और अनु0 21 के अर्न्तगत निम्न अधिकारों को शामिल किया गयाः–1. गोपनीयता का अधिकार 2. विदेश जाने का अधिकार 3. डाक्टरी सहायता का अधिकार 4. आश्रय का अधिकार 5. कार्य निष्पादन में देरी विरूध अधिकार

न्यायालय द्वारा की गई इस उदार व्याख्या के परिणामस्वरूप विभिन्न जनहित याचिकाओं के माध्यम से वर्षो से जेलो में कैद बंदियो को रिहा करवाया गया ,क्योंकि इनके केस की कभी सुनवाई ही नही हुई थी । इसके साथ ही औरतों ,बच्चों , और शोषित वर्गो के हितो की रक्षा के लिए कदम उठाए गए ।

आहलूवालियावाद – 2007 में न्यायालय ने जीवन के अधिकार का और विस्तार करते हुए फैसला दिया कि राज्य का

1:Corresponding Author

यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसा माहौल बनाए कि सभी धर्मो ,वर्गो, जातियों ,व नस्लो के लोग मिलकर गरिमामयी जीवन जी सके । यदि राज्य ऐसा करने में असफल होता है तो उसे पीडि.त को मुआवजा देना चाहिए । विभिन्न केसों में न्यायपालिका द्वारा जीवन के अधिकार की जो व्याख्या की गई हैं उसकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार हैं :–

1 1.विधिक सहायता का अधिकार : हुसैन आरा केस

2 आजीविका का अधिकार : नरेन्द्र कुमार केस

3 कार्य का अधिकार : महाराष्ट्र राज्य वाद

4 शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त पानी का अधिकार : बधेश केस

5 शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार : मुरली देवडा केस

6 यौन उत्पीड़न के विरूध अधिकार : विशाखा दत्त केस

7 शुद्ध पर्यावरण का अधिकार :एम. सी. मेहता केस

8 गर्भ मे पल रहे बच्चे का अधिकार : निकिता केस

9 नींद लेने का अधिकार : बाबा रामदेव वाद

10 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार : मोहिनी जैन केस

सन् 2002 में संसद ने 86 वां संशोधन पास किया जिसके माध्यम से संविधान में अनु0 21–क जोड़ा । इस अनुच्छेद के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बना दिया गया । अब निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग हैं । अध्ययन से स्पष्ट हैं कि संविधान के लागू होने के समय जीवन का अधिकार बहुत संक्षिप्त था लेकिन न्यायालय ने समय – समय पर इसकी जो व्याख्या की हैं उससे वर्तमान मे इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया हैं।

टिप्पणी

1. ''विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का तात्पर्य यह हैं कि प्रत्येक वह कानून उचित हैं जिसे विधानपालिका ने विधि अथवा संविधान के द्वारा तय की गई प्रकिया के अनुसार निर्मित किया हैं । कोई भी कानून प्राकृतिक न्याय के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता । भारत में विधि की व्याख्या की यही प्रकिया अपनाई गई हैं ।

2. 2. विधि / कानून की उचित प्रकिया का तात्पर्य यह हैं कि न्यायपालिका किसी भी कानून की वैधता संविधान और प्राकृतिक न्याय दोनों के आधार पर जांच सकती हैं । यदि कोई कानून संविधान के अनुसार हो लेकिन प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हो तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती हैं । यह विधि अमेरिका में अपनाई गई हैं ।

सन्दर्भ

कुमार ,विजय बंसल(1987) *राइट टू लाइफ एडं पर्सनल लिबर्टी इन इन इण्डिया*

मिश्रा ,राजेश (2016) *राजनीतिक विज्ञान : एक समग्र अध्ययन* 258–259

जसवाल ,परमजीत (1996) *हूमन राईट्स एंड द लॉ* 261

मेनका गांधी बनाम् भारतीय संघ ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597